

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा

निदेशालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (217)काशि/अनु/2012/211

दिनांक 20/7/12

आदेश

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निम्नलिखित संस्थाओं को नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने के हेतु आवंटित संकाय/विषयों सहित रात्र 2012-13 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ जारी किया जाता है-

मौलिक संस्था का नाम व पता	महाविद्यालय का नाम एवं पता	सम्बद्ध विश्वविद्यालय	आवंटित विषय/ संकाय
वैष्णवी शिक्षा संस्थान, लक्ष्मणगढ़ रोड, वसु संस्थान के पास, कटुमार जिला अलवर	वैष्णवी महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ रोड, वसु स्टेण्ड के पास, कटुमार जिला अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	कला संकाय में अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, राजनीति विज्ञान, गृहविज्ञान, भूगोल, निम्न-इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, लोकप्रशासन दर्शनशास्त्र।

1. संस्था प्रतिवर्ष निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करेगी।
2. छात्रों के प्रवेश से पूर्व प्रतिवर्ष महाविद्यालय को स्वीकृत विषयों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. मान्यता प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक सुविधाओं एवं यूजीसी योग्यताधारी स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बद्धक विश्वविद्यालय की होगी।
4. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार तय संस्था सीमा में ही प्रवेश दिया जायेगा।
5. संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्ति पश्चात् तीन सत्रों में मापदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर महाविद्यालय भवन (विभाग द्वारा तय मानदण्डानुसार) का निर्माण पूर्ण करना होगा।
6. संस्था को यूजीसी योग्यताधारी प्राचार्य व व्याख्याता तथा अन्य अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति करके सम्बद्धक विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त करेगी।
7. संस्था/महाविद्यालय को यूजीसी, राज्य सरकार तथा बार कौंसिल द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों/दिशा-निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
8. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा।
9. आवश्यकतानुसार निदेशालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा।
10. संस्था द्वारा स्थायी जमा के रूप में जमा करायी गई सुरक्षा राशि को प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
11. संस्था निदेशालय से सांख्यिकी पुस्तिका प्रतिवर्ष प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर निर्धारित समयवधि में जमा करायेंगी।
12. मापदण्डों की पूर्ण जानकारी इस विभाग की वेबसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
शिक्षा विभाग

क्र.सं. एन.ए. (एड) आ.कॉलेज/मि.स/2007/147


147
आदेश

दिनांक- 05/12/2017

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर अगस्त 2017-18 से निर्धारित मान्यताओं के तहत स्तर पर सुनिश्चित विद्यार्थी/सहाय में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमित शर्तों के साथ प्रदान किया जा रहा है-

संबंधित महाविद्यालय	संबंधित विश्वविद्यालय	संबंधित सहाय/विभाग
राजस्थान महाविद्यालय, लखनगढ़ सि.स. बस स्टैंड के पास, कपूरथल जिला-अलवर।	राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर- कला संकाय- हिन्दी साहित्य, संस्कृत साहित्य, राजनीति विज्ञान, भूगोल, विद्यकाण्ड।

1. संबंधित विश्वविद्यालय एवं बी.सी.आई.से संबद्धता प्राप्त करने का जार्जिनल स्वयं संस्था को लेना।
2. संबंधित महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं को नियुक्त करना।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी।
4. संस्था को स्लॉट-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की मान्यता अनिवार्य रूप से करनी होगी।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा संसदीय विधायक विधायक के तहत संस्थाओं की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा संप्रोक्त शर्तों का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहृत (Withdraw) किया जा सकता है।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्तालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवश्यक है।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा।
9. संबंधित महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. संस्था प्रति वर्ष आयुक्तालय/ नजदीकी राजकीय महाविद्यालय/ विभाग को वेबसाइट www.dce.rajasthan.gov.in से सांख्यिकी पुस्तिका एवं महाविद्यालय वितरणिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनाएँ भरकर आयुक्तालय को भेजेगी।
11. संस्था महाविद्यालय की website बनाकर आयुक्तालय को 15 दिवस में website address की सूचना देगी।
12. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर करवाकर DCF- II (Data Capture format) भरकर प्रतिवर्ष अपलोड करना अनिवार्य होगा। महाविद्यालय इसकी Hard copy आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करें। इस अंश के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित वेबपोर्टल Know Your College पर मान्यताओं की जानकारी सार्वजनिक एवं छात्रों को उपलब्ध हो सकेगी।
13. उल्लंघन शर्तों को पालना नहीं करने पर स्थायी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को प्रत्याहृत कर लिया जाएगा।


आयुक्त
कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -
1. डिप्टी सहायक, माओ उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
 2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 3. जिला कलेक्टर, अलवर।
 4. कुल सचिव, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर।
 5. सचिव, संबन्धित महाविद्यालय।
 6. सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
 7. रक्षित पत्रावली

अलवर
संयोजक